न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

। प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –12/2025

अनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. गीताबाई पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. नारायणीबाई पत्नी हीरालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. शंभूलाल पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. शांतिबाई पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

बरजीबाई पत्नि नानालाल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क वर्ष निवासी करणपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.सं एवं धारा 212 राजस्थान टैनेन्सी एक्ट

उपस्थित – श्री राहुल जैन प्रार्थी
श्री पी.के. बिल्लू अप्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.05.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 ले. रे. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जो निश्चित ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन निर्णय में अत्यधिक व लम्बा समय लगने की पूर्ण संभावना है, आवेदन पत्र के निर्णित होने तक मौका एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाना आवश्यक हैं, इसलिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की ग्राम करणपुरिया में खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 34, 35, मी., 5मी., 61 कुल किता 04 रकबा 1.6670 हेक्टर भूमि राजस्व रेकॉर्ड एवं खातेदारी में स्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी में से खसरा संख्या 5 मी. है। जिसे नक्शा ट्रेस में 5/1 से दर्शित किया गया है। यही आराजी खसरा संख्या 5/1 राजस्व रेकार्ड मे 5 मी. होकर प्रार्थीगण के खातेदारी मे अवस्थित है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 5 मी. के दक्षिण–पूर्वी कोने की तरफ आराजी संख्या 09 स्थित हैं। संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति में आराजी संख्या 5/1 (5मी.) के दक्षिण–पूर्वी दिशा में आराजी संख्या 09 की लाईन सीधी होकर सपष्ट है। यह कि राजस्व नक्शा ट्रेश के तरमीम किए जाने के वक्त प्रार्थी की आराजी संख्या 05 मी. की पूर्वी भुजा को पश्चिम की तरफ खिसका दिया जिससे मुझ प्रार्थीगण भूमि नक्शा ट्रेस में लगभग 0.04 हेक्टर आरी भूमि कम हो गयी हैं, जबकि जमाबंदी रेकार्ड में 5 मी. रकबा 0.6630 हेक्टर पूरा है। उक्त गलती के कारण मौके पर कभी भी तनाव व विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई हैं। यह कि नक्शा तरमीम किए जाने के समय प्रार्थीगण की आराजी संख्या 05मी. की पूर्वी दिशा की लाईन को लगभग 0.04 हेक्टर पश्चिम में खिसकाने से नक्शा ट्रेस में तकनीकी भूल व गलती हुई है जिसे सुधारा जाना आवश्यक एवं न्याय सम्मत है जिसके लिए प्रार्थीगण ने अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08/01/2024 को श्रीमान भूमिधारी बेगूँ के समक्ष नक्शा में शुद्धि किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी जाँच भू. अ. नि. काटून्दा द्वारा की गई एवं भू. अ. नि. ने दिनांक10/01/2024 में अपनी जांच रिपोर्ट श्रीमान भूमिधारी के समक्ष मय फर्द शुद्धिपत्र के

उपखण्ड अधिकारी (चित्तौड़गढ़)

प्रस्तुत की है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा के इस आशय के आदेश से पाबन्द फरमाया जावें कि विपक्षी ग्राम करणपुरिया तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 5 मी. मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करे न किसी परिवार के सदस्य, नोकर, एजेण्ट आदि के माध्यम से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री वी.पी. शर्मा द्वारा मय वकालतनामा प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की क्र.सं. 01 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सही है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी ने गलत एवं झूठे कथनों पर आधारित प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की क.सं. 2 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं दस्तावेज से सिद्ध करें। यह कि प्रार्थना पत्र की क.सं. 03 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थना पत्र की क.सं. 4 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने सभी तथ्य असत्य दर्शाये है। यह कि प्रा.पत्र की क.सं. 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने सभी गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीगण के अनुसार तरमीम को इधर–उधर खिसकाया गया है जिसको सुधारे जाने के लिए प्राथीगण को घोषणा का दावा लाने की आवश्यकता है जिसके अभाव में कानूनन प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रा.पत्र की क.सं. 6 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण के द्वारा दर्शाया गया तथ्य कोई तकनीकी भूल नहीं या गलती नही है। प्राथीगण ने सभी गलत तथ्य अंकित किये है। यह कि प्रा. पत्र की क.सं. 7 का जवाब इस प्रकार है कि स्वयं प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रा.पत्र की जांच की एंव अपनी ईच्छानुसार उसमे रिपोर्ट अंकित की है जो कानून विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र की क.सं. 8 सम्पूर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है प्राथीगण ने महज विपक्षी को परेशान व हैरान करने के लिए प्रा.पत्र गलत व झूठे, मन मकसूद तथ्यों पर आधारित पेश किया जो काबिल खारिज है। प्रा. पत्र की क.सं. 9 का जवाब इस प्रकार है कि प्रा. पत्र में पक्षकार जो आवश्यक थे उनको पक्षकार भी नही बनाया है एवं अन्य पक्षकारों को भी सुना जाना आवश्यक है। विशेष कथन में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि कानूनन प्रार्थीगण को बिना वाद पत्र के 212 आर.टी.ए. लाने का अधिकार नही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने भूमि से संबंधित पक्षकारों को प्रा.पत्र में पक्षकार नही बनाया जाने से प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज योग्य है। यह कि विपक्षी आ.नं. 81/5 मी. की खातेदार काश्तकार है जिसे अपने हक अधिकारो के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। अंत में निवेदन किया कि विपक्षी का जवाब प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र कानून विरूद्ध होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

इस दौरान विपक्षी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, बेगूं से स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं./076/2024(रे.वि.) (07.01.2025) 35 दिनांक 16.02.2025 से पत्रावली के स्थानान्तरित होने के आदेशों की पालना में पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चितौडगढ़ को प्राप्त हुई।

प्रकरण दर्ज हज न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू व प्रार्थीगण की ओर से श्री राहुल जैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जवाब प्रार्थना पत्र में कानूनी आपत्ति दर्ज कराई गई है कि बिना वाद पत्र के प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं है, साथ ही भूमि से संबंधित पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा अंतिम बहस से पूर्व दोनो कानूनी बिन्दु पर बहस सुनी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति का जवाब देने से इन्कार कर सीधे बहस सुनाने का निवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रार्थना पत्र सुनाई गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया कि धारा 212 का प्रार्थना–पत्र किसी मूल वाद के बिना प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त प्रावधान स्वतंत्र रूप से पोषणीय नहीं है। साथ ही विवादित भूमि से संबंधित आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकारों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र अपोषणीय एवं दोषपूर्ण होने से खारिज किया जावे। इसके विपरित प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी का अधिकार एवं हित प्रभावित होने की संभावना है तथा प्रकरण के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने सभी को आवश्यक पक्षकार भी बनाया है। अतः प्रार्थना–पत्र को सव्यय खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अंतरिम राहत प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में वादी का अधिकार एवं हित प्रभावित होने की संभावना है तथा प्रकरण के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः धारा 212 के अन्तर्गत अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में है। इसके विपरीत अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रारम्भिक कानूनी आपत्ति उठाई कि वादी द्वारा कोई नियमित वाद (Suit) संस्थित नहीं किया गया है तथा केवल धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 212 के अन्तर्गत अंतरिम राहत प्रदान किये जाने का प्रावधान किसी विधिवत् संस्थित एवं लंबित वाद के दौरान विषय–वस्तु के संरक्षण हेतु है। अतः मूल वाद के अभाव में धारा 212 का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि से संबंधित आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र विचारणीय नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अंतरिम राहत का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत एवं पोषणीय है ?

इस संबंध में यह स्पष्ट है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य किसी लंबित वाद की विषय–वस्तु के संरक्षण हेतु अस्थायी अथवा अंतरिम राहत प्रदान करना है। उक्त प्रावधान स्वयं में कोई स्वतंत्र मूल कार्यवाही (Substantive Proceeding) नहीं है, बल्कि यह मुख्य वाद के सहायक (Ancillary) प्रावधान के रूप में कार्य करता है। अतः धारा 212 के अन्तर्गत अंतरिम राहत प्रदान किये जाने हेतु किसी विधिवत् संस्थित वाद का लंबित होना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा कोई नियमित वाद संस्थित नहीं किया गया है, बल्कि केवल धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वतंत्र रूप से विचारणीय नहीं माना जा सकता। जब तक विधि अनुसार मूल वाद संस्थित नहीं हो, तब तक धारा 212 के अन्तर्गत अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः वकील अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति का प्रमाणित पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं दोनों पक्षों के तर्कों के सम्यक् विचारोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना–पत्र विधिवत् संस्थित मूल वाद के अभाव में अपोषणीय

(Not Maintainable) है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

प्रकरण में धारा 136 के अन्तर्गत मूल कार्यवाही नियमानुसार पृथक रूप से विचारणीय रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को सुनाया गया।

(डॉ.कृति व्यास) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा